तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	12/3/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सघ मे आज अ[illegible] कार्य का स्थगन कर रखा हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 28/4/25 को पेश हो।	
	28/4/25 पत्रावली पेश हुइ। वकुलाप उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनांक 09/5/25 को पेश हों।	
	09/05/2025 GCMS-2022/408 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी पर बहस वकुलाय उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि का तहसीलदार के आदेशानुसार सीमाज्ञान दिनांक 16.05.2022 को करवा लिया हैं। अब प्रार्थी अपनी भूमि की चिन्हित सीमाओं के अनुसार पत्थरगढी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी मुताबिक अनुतोष स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण ने पुनः सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढ़ी करने का निवेदन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं सीमाज्ञान दिनांकित 16.05.2022 का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थी की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रार्थी सीमाज्ञान दिनांकित 16.05.2022 के मुताबिक अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर पत्रावली में आदेश इस आशय का जारी किया जाता हैं कि :– **आदेश** तहसीलदार नीमकाथाना तन ग्राम राजनगर पटवार हल्का गोडावास तहसील नीमकाथाना अवस्थित ख.नं. 33/3, 48/1 कुल किता 02 कुल रकबा 0.1186 है0 में प्रार्थी तथा पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर पुनः सीमाज्ञान कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान मुताबिक सीमाज्ञान दिनांकित 16.05.2022 पत्थरगढी की	Signature Not Verified Digitally signed by Rajveer Yadav Date: 2025.05.26 12:05:1 Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख ... जो इस ... तामील ...
	जावे तथा कृषि भूमि का एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 128, 111 मे वर्णित प्रकिया का पालन करते हुए पत्थरगढ़ी करवाकर विवाद का निस्तारण करे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार नीमकाथाना को निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 09.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verif

Digitally signed by Rajve
Yadav
Date: 2025.05.26 12:05
Reason: SelfAttested